न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 114/2011

निर्णय दिनांकः– 29.2.2016

उनवान

1.लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदयाल जाति बैरवा निवासी ग्राम अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
2.धापू बेवा रामदयाल जाति बैरवा निवासी ग्राम अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

वनाम

1.अनोखमल पुत्र घासी उर्फ घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम चोरू तहसील उनियारा
2.कैलाश चन्द पुत्र घासी उर्फ घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम चोरू तहसील उनियारा
3.भेरूलाल उर्फ भंवरलाल पुत्र घासी उर्फ घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम चोरू तहसील उनियारा
4.गिर्राज पुत्र घासी उर्फ घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम चोरू तहसील उनियारा
5.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
6.शाखा प्रबन्धक दी सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक उनियारा
7.शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. अलीगढ

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री पी0सी0जैन, वकील वादी न0 1
श्री के0एल0 ठाडा वकील प्रतिवादी न0 7

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजीयात साबिका ख0न0 125 रकबा 1 बीघा ख0न0 126 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा , ख0न0 1411 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम चोरू तहसील उनियारा मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रतिवादी न0 1 ता 4 के स्व0 पिता घासी उर्फ घीस्या पुत्र हीरा के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी। साबिका ख0न0 125 रकबा बीघा व 126 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम चोरू तहसील उनियारा मे से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न0 1 ता 4 के स्व0 पिता घासी उर्फ घीस्या द्वारा दिनांक 17.10.81 को 5000/– मे वादी न0 1 के पिता व वादी न0 2 के पति रामदयाल को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के विकय कर दिया तथा साबिका ख0न0 141 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा वाके ग्राम चोरू तहसील उनियारा को दिनांक 19.0.1981 को 1500/– मे प्रतिवादी न0 1 ता 4 के स्व0 पिता घासी उर्फ घीस्या द्वारा वादी न0 1 के पिता व वादी न0 2 के पति को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के विकय किया जाकर मोके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया । उक्त वर्णित आराजीयात के हाल सेटलमेन्ट मे नये नम्बर निम्न प्रकार बने हैः–

सा0ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा	नये ख0न0	रकबा
125 126	1 बीघा 7 बीघा 16 बिस्वा	495	2.27	468	2.27
1411	2 बीघा 8 बिस्वा	1397	0.62	1419	0.62

उक्त वर्णित आराजीयात मे खरीद किये जाने के पश्चात से वादीगण के पूर्वज (पिता व पति) रामदयाल का अपने /2 हिस्से पर जब तक वह जीवित रहे, तब तक उनका तथा उनके पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त आज तक लगातार चला आ रहा है। प्रतिवादी न0 1ता 4 के पिता घासी उर्फ घीस्या का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके प्रतिवादी न0 1ता 4 जायज वारिसान व कायम मुकामान है। प्रतिवादी न0 1 ता 4 की माता मु0 दांखा का भी देहान्त हो गया है। उक्त वर्णित आराजी मे वादीगण के हिस्से को भी हाल सेटलमेन्ट मे प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दी गई, जबकि 1/2 हिस्से पर

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

आज भी वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के हिस्से पर जबरन कब्जा करने की धमकी दिये जाने के कारण उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह की वादीगण की अधियाचना हैं कि यह घोषणा की जावे कि आराजीयात साबिका ख0न0 125 रकबा 1 बीघा, ख0न0 126 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा हाल ख0न0 495 रकबा 2.27 (नवीन ख0न0 468), साबिका ख0न0 1411 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा हाल ख0न0 1397 रकबा 0.62 (नवीन ख0न0 1419) वाके ग्राम चोरू तहसील उनियारा वादीगण के 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगण न0 1 ता 4 के 1/2 हिस्से के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावे। प्रतिवादीगण 1 ता 4 को पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के हिस्से की आराजीया तमे किसी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत नहीं करे।

प्रतिवादी न0 7 के वकील ने जवाब दावा पेश किया कि वादग्रस्त आराजी बैंक के रहन दर्ज है तथा बिना रहन मुक्त कराये वादीगण किसी प्रकार उदघ्ोषणा या दुरूस्त करवाने का अधिकारी नही है। वाद वादीगण खारिज किया जावे। प्रतिवादी न0 1 के द्वारा वाद मे नो आब्जेक्शन किया। प्रतिवादी न0 2 ता 6 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

जवाब दावे उपरान्त वाद मे निम्न तनकियात कायम की गई।

1.आया वादीगण आराजी ख0न0 468 व 1419 वाके ग्राम चोरू तहसील उनियारा मे 1/2 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने, इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती करवाने व प्रतिवादीगण को अपने हिस्से की आराजीयात पर से जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द करवाने का अधिकारी है ?

–वादीगण

2.आया वादग्रस्त आराजीयात बैंक के रहन दर्ज है तथा बिना रहन मुक्त करवाये वादीगण किसी प्रकार की दुरूस्ती या उदघोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नही है? वाद वादीगण खारिज योग्य है?

–प्रतिवादी न0 1

3.दादरसी?

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल रजिस्ट्री दिनांक 17.10.87 प्रदर्श 1, नकल रजिस्ट्री दि0 19.10.81 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2027–30 प्रदर्श 3, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2028–31 प्रदर्श 4 व 5, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 6, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 7 व प्रदर्श 8, नकल नक्शा ट्रेस 9, नकल जमाबन्दी 2063–2066 प्रदर्श 10, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम चोरू सम्वत 2067 प्रदर्श 11 व फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में पी0डब्लू0 1 लक्ष्मीनारायण , पी.डब्लू. 2 छोटू व पी0डब्लू0 3 गोपाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

वादीगण के वकील व प्रतिवादी न0 7 के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2027–2030 वाके ग्राम चोरू मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 125 रकबा 1 बीघा, ख0न0 126 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा व ख0न0 1411 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा घीस्या पुत्र हीरा कोम चमार सा0 देह मु. कदीम अंकित है। असल रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 17.10.8 के द्वारा तत्कालीन खातेदार घासी पुत्र हीरा जाति बैरवा निवासी चोरू से ख0न0 125 रकबा 1 बीघा, ख0न0 126 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा का 1/2 भाग रामदयाल पुत्र लखमा जाति बैरवा निवासी अलीगढ ने कय की है। इसी प्रकार असल रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 17.10.8 के द्वारा तत्कालीन खातेदार घासी पुत्र हीरा जाति बैरवा निवासी चोरू से ख0न0 1411 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा का 1/2 भाग रामदयाल पुत्र लखमा जाति बैरवा निवासी अलीगढ ने कय किया है।

नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार उक्त साबिक आराजीयात से निम्न प्रकार नवीन नम्बर

Scanned by CamScanner

सा0ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा	नये ख0न0	रकबा
125	1 बीघा	495	2.27	468	2.27
126	7 बीघा 16 बिस्वा				
1411	2 बीघा 8 बिस्वा	1397	0.62	1419	0.62

नकल जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 वाके ग्राम चोरू तहसील उनियारा खाता संख्या 5 मे हाल आराजी ख0न0 1419 रकबा 0.62 व 468 रकबा 2.68 है0 प्रतिवादीगण 1 ता 4 व उनकी माता दांखा के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात मे /2 हिस्से को तत्कालीन खातेदार घीस्या उर्फ घासी से वादीगण के पिता व पति ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद किया है। वादीगण खरीद की गई भूमि मे अपने हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी न0 7 के वकील ने मात्र यह आक्षेप लगाया है कि वादग्रस्त आराजी बैंक के रहन दर्ज है तथा बिना रहन मुक्त करवाये वादीगण किसी प्रकार की दुरूस्ती या उदघोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादग्रस्त आराजीया तमे वादीगण का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण की अन्य आराजी भी बैंक के रहन दर्ज है। आराजी ख0न0 1419 रकबा 0.62 व 468 रकबा 2.68 है0 वाके ग्राम चोरू मे 1/2 हिस्से पर से बैंक का रहन हटाये जाने से बैंक के हितों पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडेगा।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः वाद वादीगण डिकी किया जाता है। आराजी ख0न0 468 रकबा 2.27 व ख0न0 149 रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम चोरू तहसील उनियारा मे वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण के 1/2 हिस्से को बैंक रहन से मुक्त रखा जावे। शेष हिस्सा बैंक के यथावत रहन रहेगा। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड कु दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.2.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुभाषचन्द शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदयाल जाति बैरवा निवासी ग्राम अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
2.धापू बेवा रामदयाल जाति बैरवा निवासी ग्राम अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक

बनाम — वादीगण

1.अनोखमल पुत्र घासी उर्फ घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम चोरू तहसील उनियारा
2.कैलाश चन्द पुत्र घासी उर्फ घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम चोरू तहसील उनियारा
3.भेरूलाल उर्फ भंवरलाल पुत्र घासी उर्फ घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम चोरू तहसील उनियारा
4.गिर्राज पुत्र घासी उर्फ घीस्या जाति बैरवा निवासी ग्राम चोरू तहसील उनियारा
5.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
6.शाखा प्रबन्धक दी सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक उनियारा
7.शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. अलीगढ

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 114 वर्ष 2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुभाष चन्द शर्मा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री पी0सी0जैन जैन वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दइ व श्री के0एल0 ठाडा वकील प्रतिवादी न0 7 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी ख0न0 468 रकबा 2.27 व ख0न0 149 रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम चोरू तहसील उनियारा मे वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण के 1/2 हिस्से को बैंक रहन से मुक्त रखा जावे। शेष हिस्सा बैंक के यथावत रहन रहेगा। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड कु दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 02 सन् 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner